भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2102
(20 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य का पुनर्वितरण

†2102. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि कोई राज्य प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने में विफल रहा है तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में अन्य राज्यों को लक्ष्य का पुनर्वितरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत नवम्बर , 2022 तक 2.06 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है; और

(घ) क्या 43 प्रतिशत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान की जाएगी?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, हां।

(ख): मंत्रालय ने दिनांक 25 नंवबर, 2022 और 6 दिसंबर, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र जारी किए हैं जिसमें उनसे प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के सभी भूमिहीन लाभार्थियों को 15 दिसंबर, 2022 तक भूमि के प्रावधान और तत्पश्चात मकानों की स्वीकृति का अनुरोध किया गया ताकि वर्ष 2024 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इन पत्रों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सूचित किया गया है कि यदि वे पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्धारित भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने

और मकान स्वीकृत करने में असफल रहते हैं तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से ऐसे भूमिहीन लाभार्थियों की बची संख्या तक जिन्हें भूमि प्रदान नहीं की गई है , लक्ष्यों को वापस ले लिया जाएगा और इन्हें अन्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुन: आवंटित किया जाएगा। ऐसे परिदृश्य में , शर्त यह होगी कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में मौजूद ऐसे भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करनी होगी और उसके बाद अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए उनके निर्माण करेंगे। यह निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि पीएमएवाई-जी में 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण की समय-सीमा मार्च , 2024 तक है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दिनांक 05.09.2018, 04.01.2019, 16.09.2019, 20.07.2020, 16.11.2020, 09.04.2021, 30.04.2021 और 31.01.2022 के कई पत्रों के बावजूद सभी भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान नहीं की है।

(ग): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत , दिनांक 28 नवंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 2.09 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(घ): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्धारित 5,24,754 भूमिहीन लाभार्थियों की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केवल 2,51,532 (48%) लाभार्थियों को भूमि प्रदान की है और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए कुल 2,73,222 भूमिहीन लाभार्थियों (52%) को अभी भूमि प्रदान की जानी है।

****